कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष : 0551–2580010, ईमेल–आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक : 1449 /सम्पत्ति–नौ/कार्या0 ज्ञाप/2022–23, दिनांक 28 जून, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी की दिनांक 11.06.2022 को सम्पन्न 57वीं बैठक में अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रचलित नीति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय के कम में गीडा द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनायों यथा औद्योगिक योजना, व्यवसायिक योजना, आवासीय योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं संस्थागत योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन के साथ देय रजिस्ट्रेशन धनराशि (Registration Money) एवं आवंटन के पश्चात् 60 दिनों में देय आवंटन धनराशि (Allotment Money) में परिवर्तन किये जाने के साथ–साथ औद्योगिक एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजनाओं में भूखण्ड आवंटन के पश्चात 02 वर्ष तक मात्र ब्याज की देयता एवं तत्पश्चात् 04 वर्षों में 08 छमाही किश्तों में नियमानुसार देय ब्याज के साथ प्रीमियम के भुगतान की प्रचलित नीति में भी परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

गीडा प्राधिकारी की 57वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से गीडा की समस्त योजनाओं में भूखण्ड आवंटन हेतु निम्नवत व्यवस्था रहेगी :–

क0 सं0	योजना का नाम	आवंटन की प्रकिया	आवेदन के साथ देय रजिस्ट्रेशन धनराशि (Registration Money)	आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात देय आवंटन धनराशि (Allotment Money)	आवंटन धनराशि के भुगतान हेतु निर्धारित अवधि	टिप्पणी (समस्त योजनाओं हेतु)
1	2	3	4	5	6	7
1	औद्योगिक योजना	(i). 500.00 वर्ग मीटर से छोटे भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से (ii). 500.00 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्ड समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से	भूखण्ड के कुल मूल्य का 10%	भूखण्ड के कुल मूल्य का 30% (10% रजिस्ट्रेशन धनराशि को समायोजित करते हुए)	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन	(i). समय से आवंटन धनराशि (Allotment Money) के जमा न किये जाने की दशा में आवंटी को नोटिस निर्गत किया जाएगा एवं आवंटन की तिथि से 90 दिन तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवंटन धनराशि तत्समय प्रचलित ब्याज की दर के साथ जो आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से देय होगा, स्वीकार करने का अधिकार होगा। (ii). आवंटन की तिथि से 90 दिन तक भी आवंटन धनराशि जमा न किये जाने की दशा में भूखण्ड का
2	व्यवसायिक योजना	बिड् के माध्यम से	भूखण्ड के कुल मूल्य का 10%	भूखण्ड के कुल मूल्य का 30% (10% रजिस्ट्रेशन धनराशि को समायोजित करते हुए)	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन	
3	आवासीय योजना	लॉटरी के माध्यम से	भूखण्ड के कुल मूल्य का 10%	भूखण्ड के कुल मूल्य का 30% (10% रजिस्ट्रेशन धनराशि को समायोजित करते हुए)	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन	
4	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	लॉटरी के माध्यम से	भूखण्ड के कुल मूल्य का 10%	भूखण्ड के कुल मूल्य का 30% (10% रजिस्ट्रेशन धनराशि को	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन	

				समायोजित करते हुए)		आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
5	संस्थागत योजना	बिड् के माध्यम से	भूखण्ड के कुल मूल्य का 10%	भूखण्ड के कुल मूल्य का 30% (10% रजिस्ट्रेशन धनराशि को समायोजित करते हुए)	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन	(iii). यदि भूखण्ड आवंटन के पश्चात भूमि की दरें पुनरीक्षित हो जाती है, तो उक्त दशा में आवंटन धनराशि आवेदक को आवंटन पत्र में उल्लिखित समय में जमा करनी होगी एवं विलम्ब से आवंटन धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी तथापि यदि आवंटी नई पुनरीक्षित दरों पर भूखण्ड लेने का इच्छुक है, तो उक्त दशा में पुनरीक्षित दर की दिनांक को आवंटन की तिथि मानते हुए आवंटन धनराशि को उपरोक्तानुसार वर्णित व्यवस्था के अनुसार स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा।

<u>नोट :–</u>

1. आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात अवशेष 70% प्रीमियम नियमानुसार देय ब्याज के साथ 10 छमाही किश्तों में देय होगा। छमाही किश्त प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को देय होगी, देय किश्त का निर्धारित तिथि को भुगतान न किये जाने की दशा में नियमानुसार दण्ड ब्याज भी देय होगा।
2. यदि आवंटी भूखण्ड का आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों में आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष देय धनराशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उक्त दशा में 2% की छूट भूखण्ड के कुल प्रीमियम में अनुमन्य होगी।
3. भूखण्ड आवंटन होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में आवंटन धनराशि जमा न करने की दशा में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई रजिस्ट्रेशन धनराशि गीडा द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

उपरोक्त व्यवस्था सभी प्रकार के भूखण्ड आवंटनों हेतु नए विज्ञापनों के प्रकाशन से प्रभावी होगी।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : 1449 /उपरोक्त/दिनांकित।

प्रतिलिपि–

1. निजि सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग, लखनऊ को महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर को सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
7. महा प्रबन्धक (वित्त), गीडा, गोरखपुर।
8. सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा, गोरखपुर।
9. समस्त अनुभाग प्रभारी, गीडा, गोरखपुर।
10. समस्त सहायक/कनिष्ठ सहायक/पटल प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग, गीडा, गोरखपुर।
11. प्रभारी (कम्प्यूटर), गीडा, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल गीडा की वेबसाईट पर अपलोड करायें।
12. सूचना पटल/गार्ड फाईल।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी